भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1810

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

रूग्ण एमएसएमई का पुनरुद्धार

1810. **श्री कुलदीप इंदौरा:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण पड़ी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को बेहतर वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच आदि सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में कामगारों को कुशल बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्य पुनरुद्धार योजनाओं की प्रगति और समय पर तथा आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप की निगरानी करने के लिए समर्पित समितियों का गठन करने की कोई योजना है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च, 2016 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क' पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, बैंकों को एमएसएमई खातों में प्रारंभिक दबाव को चिन्हित करने और इसमें उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई जैसे आशोधन, पुनर्गठन और वसूली के लिए निर्धारित फ्रेमवर्क के अंतर्गत गठित समितियों को संदर्भित करने की सलाह दी गई थी।

सरकार ने विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और ऋण तक आसान पहुंच का संवर्धन करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। कार्यान्वित की गई कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कोलेटरल एवं तृतीय पक्ष गारंटी रहित अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रवाह को सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया है।

ii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के लिए स्व-रोजगार का सृजन करना।

iii. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 20 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करता है।

iv. स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच के मूल्य के क्रेडिट की सुविधा प्रदान करती है, जो प्रत्येक बैंक शाखा

से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) ऋणी और एक महिला ऋणकर्ता को दिया जाता है।

v. एमएसएमई को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करने और शैक्षणिक समूहों/समुदायों और उद्योग के साथ साझेदारी में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा देश भर में प्रौद्योगिकी केन्द्रों/टूल रूम का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

vi. एमएसएमई को नई और स्वदेशी तकनीकें प्रदान करने की अन्य पहलों में एमएसई को हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करने के लिए हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना और एमएसई के बीच सर्कुलेरिटी को बढ़ावा देने के लिए सर्कुलर एकोनॉमी में संवर्धन और निवेश की योजना शामिल है।

vii. पीएम विश्वकर्मा स्कीम में शामिल किए गए 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को ऋण सहायता सहित समग्र सहायता प्रदान करती है।

viii. दिनांक 11.01.2023 को अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है।

ix. प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

x. देश में एमएसएमई में पंजीकरण के माध्यम से उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता में वृद्धि के लिए, एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्यों/संघ- राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और अन्य एमएसएमई हितधारकों के समन्वय में भौतिक कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि सभी हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार किया जा सके।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय व्यापक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनसे उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को संवर्धन देने के लिए योजना (एस्पायर) और देश में स्थापित प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देना शामिल हैं।

(ग) : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है, एमएसएमई के खातों में दबाव को दूर करने के लिए एक सहज और गतिशील तंत्र प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक **17** मार्च, **2016** के परिपत्र, एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.संख्या **21/06.02.31/2015-16** के माध्यम से **25** करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा वाले एमएसएमई इकाइयों के पुनरुद्धार और पुनर्वास (एफआरआर) के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। एफआरआर दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) श्रेणी के तहत तीन उप-श्रेणियां बनाकर एमएसएमई खातों में प्रारंभिक दबाव को चिन्हित करेंगे। आरंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर, खाता रखने वाली शाखा **10** लाख रुपए से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के लिए शाखा स्तर पर समीक्षा हेतु एक समिति को अग्रेषित करने पर विचार करेगी। सीएपी के तहत प्रस्तावों में संशोधित, पुनर्गठन तथा वसूली शामिल हैं।

*****